सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 18 अगस्त, 1975

श्रावण 27, 1897 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 2996 सत्रह–वि0–1––86–75

लखनऊ, 18 अगस्त, 1975

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1975 पर दिनांक 13 अगस्त, 1975 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इसे अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1975)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:––

संक्षिप्त नाम

1––यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1972 की धारा 2 का संशोधन

2––उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 को उपधारा (1) में, शब्द "तीन वर्ष और छः मास की अवधि के लिए" के स्थान पर शब्द तथा अंक "31 दिसम्बर, 1976 तक" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायें, और खण्ड (ग) में शब्द "किसी अधिकारी को" के उपरान्त शब्द "अथवा किसी ऐसी समिति को जो तदर्थ संघटित की जाय" रख दिये जायं ।

वैधीकरण

3––शंकाओं के निराकरण के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि दिनांक 5 मई, 1975 के पूर्व (जिसे आगे उक्त दिनांक कहा गया है) मूल अधिनियम की धारा 2 में उल्लिखित तीन वर्ष और छः मास की अवधि की समाप्ति (जिसे आगे उक्त समाप्ति कहा गया है) के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (जिसे आगे 1964 का अधिनियम कहा गया है) के अधीन किसी मण्डी क्षेत्र के लिए किसी मण्डी समिति के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मूल अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों के प्रयोग या तात्पर्यित प्रयोग में या अपने कृत्यों के निर्वहन या

दिया गया कोई आदेश, जिसके अन्तर्गत उद्गृहीत किया गया कोई कर या वसूल की गई फीस भी है, उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी होगा मानों वह विधि के अनुसार किया गया, की गई, दिया गया, उद्गृहीत किया गया या वसूल की गई हो :

प्रतिबन्ध यह है कि 1964 के अधिनियम के किसी उपबन्ध के उल्लंघन से या उनके अनुपालन में चूक से कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी न होगा यदि ऐसा उल्लंघन या चूक उक्त समाप्ति के पश्चात् और उक्त दिनांक के पूर्व हुई हो ।

निरसन

4—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1975 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 1995

No. 2996 (2) /XVII-V—1-86-1975

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpkalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1975 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 28 of 1975), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 13, 1975 :

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI SAMITIS (ALPAKALIK VYAWASTHA) (AMENDMENT) ACT, 1975

(U. P. Act no. 28 of 1975)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972.

It is hereby enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Amendment) Act, 1975.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 7 of 1972

2. In the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, in section 2, in sub-section (1), *for* the words "for a period of three years and six months" the words and figures "until December 31, 1976" shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*, and in clause (*c*), *after* the words "in that behalf" the words "or to any committee that may be constituted in that behalf" shall be *inserted*.

Validation.

3. For the removal of doubts it is hereby declared, that, notwithstanding expiration of the period of three years and six months mentioned in section 2 of the principal Act (hereinafter referred to as the said expiration) before the fifth day of May, 1975 (hereinafter referred to as the said date), anything done or any action taken or any order made, including any tax levied or fee charged by the District Magistrate in relation to a Mandi Committee for a Market Area under the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (hereinafter referred to as the 1964 Adhiniyam), in the exercise or purported exercise of his powers or in the discharge or purported discharge of his duties under the principal Act after the said expiration shall be as valid and as operative as if it had been done, taken, made, levied or charged in accordance with law :

Provided that no contravention, or failure to comply with any of the provisions of the 1964 Adhiniyam, shall render any person guilty of any offence if such contravention or failure occurred after the said expiration and before the said date.

Repeal.

4. The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Amendment) Ordinance, 1975, is hereby repealed.

U. P. Ordinance no. 9 of 1975.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।

पी० एस० य० पी०—ए० पी० 208 सा० (विधा०)—1975—650 (मेक०) ।